न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 29 / 2019 दिनांक–12.12.2019

रामकुवार उर्फ रामकुमार पुत्र श्री सुण्डाराम जाति जाट निवासी सेवानगर तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री जयपाल सिंह
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे.एक्ट 1956

:: निर्णय ::

दिनांक :–31.01.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सेवानगर पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 53 पुराना 61 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3 रकबा 3.43 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकुवार पुत्र सुण्डाराम स्थित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम है। जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व रिकार्ड में नाम शुद्धि के लिए पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, शिक्षा के दस्तावेजात सभी में रामकुमार पुत्र सुण्उराम है जबकि राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी में खाता संख्या नया 53 पुराना 61 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3 रकबा 3.43 हैक्टर में रामकुमार पुत्र सुण्डाराम दर्ज होना चाहिए। उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सही नही दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है। प्रार्थी कोई भी सरकारी लाभ नही ले पा रही है जिसके कारण प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम की शुद्धि कराने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी की सेवामें पेश कर रहा है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गलत दर्ज हुआ है, जो गलती सहवन के कारण जिसको दुरूस्त किया जाना अति–आवश्यक है। जिसे प्रार्थी को किसी प्रकार की पेरशानी नही हो प्रार्थी अपने सही नाम का फायदा उठा सके। प्रार्थी पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र सुनने का श्रीमानजी को पूर्ण क्षैत्राधिकार है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि ग्राम सेवानगर पटवार हल्का खिरोड़ की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 53 पुराना 61 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3 रकबा 3.43 हैक्टर अवस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

उक्त खसरा नम्बर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम की जगह रामकुवार पुत्र सुण्डाराम स्थित है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम है। जिसकों इसी अनुसार शुद्धि करने के लिए तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी की जावे तथा प्रार्थी कानाम राजस्व रिकार्ड में रामकुमार पुत्र सुण्डाराम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी का नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम है ग्राम सेवानगर के खाता संख्या 53 में रामकुवार पुत्र सुण्डाराम दर्ज है, जबकि संलगन दस्तावेजों में वादी का नाम रामकुमार पुत्र सुण्डाराम है जो सही है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित है, कि सहमति प्रदान की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के शैक्षिक दस्तावेजात, व राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, अधार कार्ड, तथा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम सेवानगर पटवार हल्का खिरोड की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 53 पुराना 61 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 3 रकबा 3.43 हैक्टर में प्रार्थी का नाम रामकुवार पुत्र सुण्डाराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र सुण्डाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है, तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.02.11 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: